15/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील प्रतिवादी (1, 5 से 10) अनु.। प्रतिवादी 2, 3, 4 के नोटिस बाद तामील संलग्न पत्रावली है। [illegible] उनका अनु.। न्यायालय समय से आवाज लगवाई गई। उपस्थित नहीं हुए अत: प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। वकील वादी ने बयान ही बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाने हेतु निवेदन किया। गवाह PW1 बाकेलाल उप.। बयान लेखबद्ध करवाए। वकील वादी और गवाह पेश नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक को पेश हो। पुकार कराई

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

तारीख हुक्म

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। कहना वाद पत्र पर सुनी जावे। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय व निर्णयानुसार डिक्री हस्ब से तैयार करवाया जाकर। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

<u>निर्णय</u> दिनांक **16.10.2025**

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया की ग्राम नारेला तहसील एंव जिला चित्तौडगढ मे वर्तमान पैमाईश की आराजी नं 186, 187, 188, 189 स्थित है जो वर्तमान रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 09 तक की खातेदारी मे दर्ज है राजस्व रेकार्ड मे गणेश पिता भुवाना भी दर्ज है मगर गणेश पिता भुवाना फोत हो चुका है जिसके कोई वारीसान नही है। उक्त वर्णित आराजीयात के पुरानी पैमाईश मे आराजी नं 212 थे जो रेवेन्यु रेकार्ड मे हरिराम , जवाहरमल पिता कालु जाट के 1/2 हिस्से से एंव उकार, गणेश पिता भुवाना के 1/2 हिस्से अंकित है खातेदार जवाहरमल का एकमात्र वारिस मै वादी हु एंव खातेदार हरिराम के एक मात्र पुत्र मोहन था जो फोत हो गया है जिसके कोई वारीसान नही है जिससे पुरानी पैमाईश के आराजी नं 212 एंव उससे बनने वाले नये आराजी नम्बर 186, 187, 188, 189 का हरिराम व जवाहरमल के 1/2 हिस्से का एकमात्र वारिस मै वादी होने से खातेदार काश्तकार हु।

पैमाईश विभाग द्वारा सहवन से उंकार, गणेश पिता भुवाना के 1/2 हिस्से के बजाय सारी आराजीयात उनके विक्रेतागण जो प्रतिवादी भी है के नाम पर दर्ज कर दी जबकि मुझ वादी ने मेरे पिता ने एंव मेरे काका श्री हरिराम एंव मोहन ने उक्त आराजीयात का कोई हिस्सा किसी को भी विक्रय नही किया मगर पैमाईश विभाग ने बिना किसी आधार एंव अधिकार के दावे की कॉलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीया तमे 1/2 हिस्सा वादी का दर्ज नही किया । वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर मुझ वादी का कब्जा है जो मेरे पिता एंव मृतक हरिराम एंव मोहन के समय से चला आ रहा है मगर राजस्व रेकार्ड से मुझ वादी का नाम अंकित न रहने से प्रतिवादीगण विवाद कर मुझ वादी के 1/2 भाग पर कब्जे मे हस्तक्षेत्र करने को प्रयासरत है व वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र हस्तान्तरीत करने पर भी उतारू है । वाद हेतूक दिनांक 08.11.2021 को राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर जानकारी होने से पैदा होकर लगातार जारी है। अन्त मे वादी का वाद पत्र

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ीकार फरमाया जाकर वाद ग्रस्त आराजीयात मे 1/2 हिस्सा वादी का घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती कराई जाने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने की डिक्री प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस मय वाद पत्र की नकल तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 , 05 से 10 की ओर से अधिवक्ता जगदीश तेली ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 15.10.2025 को अधिवक्ता प्रतिवादी (01, 05 से 10) व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वाद पत्र का खण्डन प्रस्तुत नही करने से वाद बिन्दू कायम नही किए गए। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र pw1 शंकरलाल का प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नकल नामान्तरण संख्या 756 , प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 508, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 125 , प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 115 , प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 425 , प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 , प्रदर्श–7 मिलान खसरा प्रदर्शित करवाए । हस्तगत प्रकरण बहस हेतू नियत दिनांक को पेश हुआ है। बहस वाद पत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया पैमाईश विभाग ने बिना किसी आधार के प्रश्नगत आराजीयात मे वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज नही किया है ।

अतः उक्त इन्द्राज को दुरस्त किया जाकर वादी का प्रश्नगत आराजीयात मे 1/2 हक हिस्सा घोषित किया जावे व विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादी के कथनो पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी मौजा नारेला सम्वत् 2032 से 2035 बतलाती है कि हरिराम , जवाहरमल पिता कालु 1/2 उंकार गणेश पिता भुवाना 1/2 खातेदार के रूप मे दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–1 नकल नामान्तरण संख्य 756 मे अंकित अनुसार ग्राम नारेला की साबिक आराजी नं 195 मे उंकार , गणेश पिता भुवाना का निहित हक हिस्सा 1/2 जरिए रजिस्ट्री बेचान किया है। प्रदर्श–7 मिलान खसरा पत्रक है जिससे ग्राम नारेला की साबिक आराजीयात 212 के नए नम्बर 186, 187, 188, 189 बने

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ने एंव उक्त आराजीयात मे वक्त पैमाईश वादी का नाम विलोपित होने की पुष्टि होती है। प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 508 मौजा नारेला , प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 125 मौजा नारेला वर्तमान चालू जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति है उक्त चालू जमाबन्दी मे वादी का नाम दर्ज रेकार्ड न होना जाहिर होता है। उपर्युक्त दस्तावेजात के सूक्ष्मता से अवलोकन व विश्लेषण करने से न्यायालय के समक्ष यह बात तो स्पष्ट उभर कर आई है कि मौजा नारेला की साबिक आराजीयात 212 के खातेदारान हरिराम,जवाहरमल पिता कालु 1/2 उंकार गणेश पिता भुवाना 1/2 खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड रहे है। उक्त साबिक आराजीयात मे उंकार गणेश पिता भुवाना ने अपना निहित सम्पूर्ण हक हिस्सा 1/2 जरिए रजिर्स्टड विक्रय पत्र से भूरालाल पिता उंकारलाल ब्राहमण को विक्रय किया है जिसका अंकन भी नकल नामान्तरण मे हो रहा है। ऐसी सूरत मे वक्त पैमाईश प्रदर्श– 7 मिलान खसरा मे वादी का नाम विलोपित होकर पुन उंकार गणेश पिता भुवाना का नाम दर्ज रेकार्ड हुआ है जो कि विधि सम्मत् नही है चूकि उंकार गणेश पिता भुवाना ने साबिक आराजीयात 212 मौजा नारेला मे निहित सम्पूर्ण हिस्सा जरिए रजिर्स्टड विक्रय पत्र से भूरालाल पिता उंकार लाल ब्राहमण को विक्रय कर दिया है एंव नामान्तरण संख्या 756 से विक्रेतागण के नाम दर्ज रेकार्ड हो चुकी है। ऐसी सूरत मे वक्त पैमाईश हुई त्रुटि को सुधार करवा कर वादी के नाम घोषणा हेतू हस्तगत वाद पत्र पेश कर इन्द्राज दुरस्ती व घोषणा की दाद चाही है। मेरी विधिक मतानुसार वक्त पैमाईश सहवन से हुई त्रुटि को सुधारना उचित एंव स्पष्ट है। इसके विपरित प्रतिवादीगण ने वाद पत्र का खण्डन भी प्रस्तुत नही किया जिससे प्रतिवादीगण की मौन सहमति प्रकट होती है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश मे वादी का वाद पत्र प्रमाणित पाया जाने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नारेला पटवार हल्का नारेला तहसील चित्तौडगढ स्थित खाता संख्या 125 मे वर्णित आराजीयात 188 ,189 कुल किता 02 कुल रकबा 2.48 हे. के खातेदार एजी पत्नी हीरा 1/12 जाट , गणेश पुत्र भुवाना 1/4 जाट , दलीचन्द पुत्र उंकार 1/12 जाट , मांगीबाई पुत्री ऊंकार 1/12 जाट का नाम व सम्पूर्ण हिस्सा विलोपित कर वादी **(शंकरलाल पिता जवाहरमल जाट नि.भवंरकिया)** को खातेदार घोषित किया जाता है एंव खाता

(हीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ख्या 508 मे वर्णित आराजीयात 186, 187 कुल किता 02 कुल रकबा 2.50 हे. के खातेदार एजी पत्नी हीरा 1/12 जाट , गणेश पुत्र भुवाना 1/4 जाट , दलीचन्द पुत्र उंकार 1/12 जाट , मांगीबाई पुत्री ऊंकार 1/12 जाट का नाम एंव सम्पूर्ण हिस्सा विलोपित कर वादी **(शंकरलाल पिता जवाहरमल जाट नि.भवंरकिया)** को खातेदार घोषित किया जाता है एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के घोषित हक हिस्से मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करे और न ही अन्य से करावे । उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज किया जावे । डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (अन.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते